कार्यालय जिला पंचायत बस्तर, जगदलपुर

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (छत्तीसगढ)

बिहान

क्रमांक / 491 / जि0पं0 / NRLM / स्था0 / 2026, जगदलपुर दिनांक 18 मार्च 2026

मिशन संचालक, विकास आयुक्त कार्यालय SRLM प्रकोष्ठ विकास भवन, सेक्टर 19, द्वितीय तल, नार्थ ब्लाक, नवा रायपुर, अटल नगर, छ0ग0 शासन का आदेश क्रमांक / 3357 / वि–6 / NRLM / HR&A / 2025 रायपुर दिनांक 17–01–2025 एवं आदेश क्रमांक / ESTB/1107/2025-Section CGSRLM रायपुर दिनांक 23–02–2025 में निहित निर्देशानुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" के अन्तर्गत उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार संविदा नियुक्ति (निश्चित वेतन) पर निर्धारित प्रारूप में कम्प्युटर / टाईपराईटर अंकित अथवा स्पष्ट अक्षरों में हाथ से भरा हुआ आवेदन केवल **रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बस्तर जिला, जगदलपुर (छ0ग0) के पते पर निर्धारित अंतिम तिथि 07 / 04 / 2026 तक आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।**

जिला बस्तर हेतु

क	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					महायोग				
			मुक्त	महि.	विक.	भू.सै.	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू.सै.	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू.सै.	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू.सै.	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू.सै.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	योग	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

ब / पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण–

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	2	3	4	5	
1	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	39,875/-	**शिक्षा** – 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि / द्विवर्षीय डिप्लोमा। **अनुभव** – स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखण्ड / क्लस्टर स्तर के प्रबंधकीय / समन्वयक पद का न्यूनतम 02 वर्ष का केन्द्र / राज्य शासन / लोकल बॉडी गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अन्तर्गत ग्रामीण विकास / गरीबी उन्मूलन / आजीविका संबंधी क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	15
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए अतिरिक्त 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				साक्षात्कार	15

नियम एवं शर्तेः–

1. आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2026 के आधार पर की जायेगी।
2. आवेदक को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र एवं स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
3. समस्त प्रमाण–पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन–पत्र स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
4. अनुभव प्रमाण–पत्र (स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखण्ड / क्लस्टर स्तर के प्रबंधकीय / समन्वयक पद का न्यूनतम 02 वर्ष का केन्द्र / राज्य शासन / लोकल बॉडी गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाईट में सूचीबद्ध संस्था) अन्तर्गत ग्रामीण विकास / गरीबी उन्मूलन / आजीविका संबंधी क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव मान्य किये जायेंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर

ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे। अनुभव का लाभ लेने हेतु नियुक्ति आदेश संलग्न किया जाना अनुभव अंक प्रदान के संबंध में कम से कम समान पद समान वेतनमान पर कार्य अनुभव का ही अंक प्रदान किया जावेगा, अन्यथा की स्थिति में अनुभव का लाभ प्रदान नही किया जावेगा।

5. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
6. शासकीय/गैर–शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।
7. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
8. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं उक्त संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी।
9. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।
10. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
11. पदों की संख्या में परिवर्तनीय है।
12. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
13. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
14. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ. 9–1/2012/1–3 दिनांक– 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी।
15. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
16. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
17. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
18. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
19. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
20. आवेदन पत्र के साथ 9X4" साईज का दो लिफाफे जिसमें प्रत्येक के लिए 22–22 रूपये का डाक टिकट सहित आवेदक का वर्तमान पता लिखा हुआ हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
21. **निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरान्त अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति के लिए जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा तदउपरान्त पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 1:10 के मान से लिखित/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र प्रेषित किया जावेगा।**
22. उक्त विज्ञापन/नियुक्ति आरक्षण के संबंध में मान0 उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट पिटिशन के अध्याधीन रहेगा, एवं उक्ताशय के संबंध में पारित आदेश नियुक्त उम्मीदवारों पर बंधनकारी रहेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय पर जिला पंचायत बस्तर के सूचना पटल पर या www.bastar.gov.in पर देखी जा सकती है ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–बस्तर

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत–बस्तर (छ0ग0)

स्वयं का नवीनतम
स्वप्रमाणित
पासपोर्ट साइज
फोटो चस्पा करें

आवेदित पद का नाम :– ....

1. आवेदक / आवेदिका का पूरा नाम (हिन्दी में) :– ....
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) ....
2. लिंगः–पुरूष / महिला ....
3. पिता / पति का नाम (हिन्दी में) :– ....
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) ....
4. जन्मतिथिः– अंको में ....शब्दों में.........................
आयु (01.01.2026 के अनुसार)

दिन	माह	वर्ष

5. जाति (अजा / अजजा / अ.पि.वर्ग / अनारक्षित):– ....
6. स्थायी पता (हिन्दी में) ....
(निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें) ....
....
7. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (हिन्दी में):– ....
....
....
8. फोन / मो.नं. :– ....
9. आधार नम्बर :– ....
10. ई–मेल (यदि हो) ....
11. वैवाहिक स्थिति (विवाहित / अविवाहित) ....
विवाहित होने की स्थिति में संतानों की संख्या ....

शैक्षणिक योग्यताएं (शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) :–

क्र.	उत्तीर्णपरीक्षाकानाम	बोर्ड / विवि	डिग्री / डिप्लोमा	परीक्षा परिणाम			
				उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

संबंधित कार्यक्षेत्र मे अनुभवः–

विभाग / संस्था	पदनाम	कार्यअवधि		
		कब से	कब तक	कुल अनुभव (वर्ष में)
			कुल अनुभव	

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1.................................. 6..................................
2.................................. 7..................................
3.................................. 8..................................
4.................................. 9..................................
5.................................. 10..................................

–: घोषणा :–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ, कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य हैं। भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन / सेवायें निरस्त कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

नामः–..............................